

बिश्रामपुर स्लाइडिंग में आज 8 वर्षों के बाद पहली बार रेलवे का रैक पहुंचा



वार्फवाल साइडिंग 41 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक परियोजना तैयार

गोपाल सिंह बिद्रोही
सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) विश्रामपुर कोयला परिवहन करने नवीन रेलवे स्लाइडिंग में रेलवे का रैक आठ वर्षों बाद पहुंची जिसको लेकर प्रबंधन एवं आम नागरिकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विश्रामपुर क्षेत्र का कोयला प्रेषण अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ने का रहा है।

जानकारी के अनुसार एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र ने करीब 41 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जयनगर वार्फाल रेलवे साइडिंग का निर्माण पिछले मां बनकर तैयार हो चुका है

जिस पर आज रेलवे का रैंक पहुंची रेलवे से पहली रैंक मिलते ही कोयले की पहली खेप देश के विभिन्न विद्युत ताप गृहों और औद्योगिक इकाइयों के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही विश्रामपुर क्षेत्र एक बार फिर रेलवे के माध्यम से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

रेलवे साइडिंग पुनः चालू होने से सड़क पर कम पड़ेगा दबाव – रेलवे साइडिंग शुरू होने से न केवल कोयला परिवहन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सड़क मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा, पर्यावरणीय लाभमिलेगा और खदानों में लंबे समय तक कोयले का स्टॉक रखने की मजबूरी भी समाप्त होगी। फिलहाल साइडिंग में करीब नौ हजार टन कोयले का स्टॉक तैयार कर लिया गया है तथा रेलवे रैंक की मांग भेज दी गई है। विश्रामपुर क्षेत्र में

रेलवे के माध्यम से कोयला परिवहन का इतिहास पांच दशक से भी अधिक पुराना है। वर्ष 1972 में एनसीडीसी के समय एनसीडीसी एक एवं दो साइडिंग का निर्माण किया गया था। बाद में इन्हें जयनगर एक एवं दो और फिर विश्रामपुर एक एवं दो साइडिंग के रूप में संचालित किया गया।

समय के साथ कोयला हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) जर्जर होने लगा। वर्ष 2013 में इसका कार्याकल्प कर इसे विश्रामपुर वार्फाल साइडिंग का स्वरूप दिया गया, लेकिन लगातार उपेक्षा और संरचनाओं के कमजोर होने के कारण अगस्त 2018 में इसे पूरी तरह बंद करना पड़ा। इसके बाद क्षेत्र की सभी खदानों से कोयला केवल सड़क मार्ग से

जयनगर वार्फवाल साइडिंग के पास है कोयले का स्टॉक – एस ई सी एल

विश्रामपुर क्षेत्र एक बार पुनः क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर संजय सिंह के नेतृत्व में कोयला का उत्पादन वृद्धि हुई है कोयले का उत्पादन बढ़ने से कोयला का परिवहन रेलवे से करने की आवश्यकता आन पड़ी। बताया जाता है कि अमेरा, आमगांव ओपन कास्ट तथा केतकी और गायत्री भूमिगत परियोजनाओं से कोयला उत्पादन लगातार बढ़ा है। वर्तमान में विश्रामपुर क्षेत्र से प्रतिदिन सात से आठ हजार टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन बढ़ने के साथ ही सड़क परिवहन की सीमाएं भी सामने आने लगीं। इसके बाद एसईसीएल प्रबंधन ने रेलवे परिवहन को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि लगभग एकतालीस करोड़ रुपये की लागत से नई जयनगर वार्फाल साइडिंग के पुनर्निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया तथा निर्माण एजेंसी राइट्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी

गई। निर्माण पूर्ण होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने नई रेल लाइन और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। निरीक्षण के बाद विभिन्न खदानों से साइडिंग तक कोयला पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। कवि सूत्र ने बताया कि रेलवे के माध्यम से एक बार में लगभग चार हजार टन कोयले का परिवहन संभव होगा। इतनी ही मात्रा को सड़क मार्ग से भेजने के लिए बड़ी संख्या में ट्रकों की आवश्यकता पड़ती है। रेलवे परिवहन शुरू होने से मुख्य रूप से लंबी दूरी के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। इससे ईंधन की बचत, प्रदूषण में कमी और परिवहन की लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। खदानों में लंबे समय तक कोयला स्टॉक रहने से त्रिपुरा राइफल्स चोरी पर लगाम लगाने तैनात की गई है।



संक्षिप्त समाचार

समता बुद्ध बिहार परिसर में पौधा रोपण कर पर्यावरण एवं संरक्षण महत्व मनाया गया



सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- विश्रामपुर स्थित समता बुद्ध बिहार परिसर में क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ संजय सिंह ने पौधारोपण कर वन महोत्सव मनाया सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- समता बुद्ध बिहार परिसर में आयोजित कार्यक्रम मुख्यतिथि डॉ संजय सिंह महाप्रबंधक,कार्मिक प्रबंधक शिदि, श्री श्याम सुंदर रातों सुरक्षा प्रभारी, प्रिंस प्रजापति पर्यावरण विभाग, श्री रामबाबू जी, शिक्षा संघ के अध्यक्ष रामबिहारी जी,सचिव ओम प्रकाश पैकरा,कोषाध्यक ओमप्रकाश जी, एस एस मुंडा,राजेश तोपो,,लखन लाल कुरै,रामराज सजल मित्रा,देव चौधरी,परवीन एवं माता सावित्री पुते समिति के अध्यक्ष मीना रातों,एवं समित के सभी पदाधिकारी गण ,के साथ सम्मानीय नरेंद्र जैन,राजेंद्र पासवान,गोपाल बिद्रोही,वी पी एस पेया एडिनिया पौधा रोपण किया। विभिन्न सामाजिक संगठन,एवं डी ए वी पब्लिक स्कूल के शिक्षक बेंस सर एवं छात्र ,अन्य स्कूल के भी छात्र उपस्थित रहे,सभी एक एक पौधा लगाकर नेमप्लेट के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए,आज पूरे कोल इंडिया के सौजन्य से सभी अनुसांगिक कंपनियों में पर्यावरण को सुधार करने के उद्देश्य से पौधा रोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया को गिनीज बुक के रिकॉर्ड में शामिल करना है,साढ़े तीन लाख पौधा एस ई सी एल को टारगेट दिया गया है एवं 40000 चालीस हजार पौधा रोपण विश्रामपुर एरिया टारगेट किया गया है।कोल इंडिया को मेसेज ट्री इनवायरमेंट किया जाना है।पौधा रोपण कर कोल इंडिया को गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना उद्देश्य है।

कोरबा रेलवे स्टेशन के अधूरे नवनीकरण पर सांसद ज्योत्सना महंत ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, जल्द कार्य पूरा कराने की मांग

कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोरबा रेलवे स्टेशन के नवनीकरण कार्य में हो रही देरी और यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि कोरबा जिला भारतीय रेल को सर्वाधिक राजस्व देने वाले प्रमुख जिलों में शामिल है, इसके बावजूद कोरबा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य पिछले कई वर्षों से धीमी गति से चल रहा है और अब तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कई रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, लेकिन कोरबा रेलवे स्टेशन अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। स्टेशन पर निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रतीक्षालय, पार्किंग और पेयजल सुविधाओं का मुद्दा उठाया- सांसद ज्योत्सना महंत ने पत्र में उल्लेख किया कि कोरबा रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। इसके बावजूद यहां प्रतीक्षालय, स्वच्छता व्यवस्था, पार्किंग, यात्री आवागमन व्यवस्था और पेयजल जैसी जरूरी सुविधाएं अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि कोरबा रेलवे स्टेशन के नवनीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए और यात्रियों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

सांसद ने कहा कि कोरबा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक जिले के रेलवे स्टेशन का विकास क्षेत्र की जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस मामले में शीघ्र पहल करेगी।

टाइगर रिजर्व में लकड़ी तस्करो ने चेकपोस्ट के रास्ते ही बाइक से कर रहे है साल की सिल्ली का अवैध परिवहन

बरसात शुरू होते ही महली परिक्षेत्र में बढ़ी तस्करी, 100 से अधिक लोगों का सिडिकेट सफ़्रिय, ग्रामीणों ने बैरियर कर्मियों पर सांठगांठ का लगाया आरोप; हर खेप में 14 हजार तक की कमाई

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जिसे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव परियोजनाओं में शामिल किया गया है, आज लकड़ी तस्करो के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। बरसात शुरू होते ही महली परिक्षेत्र के घने जंगलों में एक बार फिर लकड़ी तस्करो की गतिविधियां तेज हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि अवैध कटाई रोकने के लिए स्थापित मकरादुआरी चेकपोस्ट के रास्ते ही तस्कर बेखोफ़ीकर बाइक में साल और बीजा की सिल्ली लादकर मध्यप्रदेश के सिंगरौली और उत्तरप्रदेश तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे इस अवैध कारोबार की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे तस्करो के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने के बाद उम्मीद थी कि जंगलों में अवैध कटाई पर पूरी तरह रोक लगेगी और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित



रहेगा। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। जंगलों में दिन-रात पेड़ों की कटाई जारी है और तैयार की गई लकड़ी खुलेआम चेकपोस्ट पार कर बाहर भेजी जा रही है।

संगठित सिडिकेट चला रहा करोड़ों का अवैध कारोबार- स्थानीय लोगों के अनुसार लकड़ी तस्करी अब छोटे स्तर का अपराध नहीं, बल्कि संगठित सिडिकेट का

रूप ले चुकी है। इसमें 100 से अधिक स्थानीय युवक, ग्रामीण, बिचौलिए और बाहरी तस्कर शामिल हैं। जंगल के भीतर रहने वाले कुछ लोग पहले साल और बीजा के पेड़ों की कटाई करते हैं। इसके बाद वहीं कुल्हाड़ी और टांगी से 3 इंच मोटी, 9 इंच चौड़ी और लगभग 7 फीट लंबी सिल्ली और चौखट तैयार की जाती है। फिर बिचौलिए इन्हें जंगल के भीतर से मुख्य मार्ग तक

पहुंचाते हैं, जहां पहले से मौजूद बाइक सवार तस्कर लकड़ी लादकर मकरादुआरी चेकपोस्ट के रास्ते सिंगरौली की ओर निकल जाते हैं। बताया जाता है कि तस्करो के आगे और पीछे अलग-अलग बाइक सवार चलते हैं, जो रास्ते में वन विभाग, पुलिस या अन्य वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। किसी प्रकार का खतरा दिखाई देने पर तुरंत सूचना देकर पूरा नेटवर्क सतर्क हो जाता है।

हर खेप में 14 हजार रुपये तक का मुनाफ़ा- ग्रामीणों के मुताबिक एक बाइक में ले जाई जाने वाली लकड़ी की एक खेप से करीब 14 हजार रुपये तक की कमाई हो जाती है। यही वजह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के कई युवक इस धंधे में शामिल हो चुके हैं। लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ यह कारोबार लगातार फैलता जा रहा है।

इन गांवों के जंगल बने तस्करो का निशाना- जानकारी के अनुसार कोल्हुआ, महली, खोहिर, बैजनपाट, लुल्ह, मुंडा, रामगढ़, उमझर और रसीकी के जंगलों में सबसे अधिक अवैध कटाई की जा रही है। यहां तैयार की गई लकड़ी को बैजनपाट, मकरादुआरी, धारीमुड़ी, खैरा रोड और बलंगी चौपटा घाट के रास्ते मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तक पहुंचाया जा रहा है।

चेकपोस्ट की भूमिका पर उठ रहे सवाल- ग्रामीणों का आरोप है कि मकरादुआरी चेकपोस्ट पर वर्षों से एक ही प्रभारी और चौकीदार की तैनाती होने के कारण तस्करो से उनकी सांठगांठ बन गई है। यही कारण है कि लकड़ी से लदी बाइकें

बिना किसी रोक-टोक के बैरियर पार कर जाती हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तेजी से उजड़ रहे जंगल, वन्यजीवों पर बढ़ा खतरा- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते अवैध कटाई पर रोक नहीं लगी तो टाइगर रिजर्व के जंगल तेजी से खत्म होंगे। इससे बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी समेत अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। लगातार जंगलों के सिकुड़ने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका है।

ग्रामीणों की मांग—बदले जाएं चेकपोस्ट के कर्मचारी, बने विशेष अभियान- ग्रामीणों ने मांग की है कि मकरादुआरी चेकपोस्ट पर लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों का तत्काल तबादला किया जाए। साथ ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर नियमित गश्त, रात्रि अभियान और सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जाए ताकि लकड़ी तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

अधीक्षक ने दिए जांच के निर्देश- गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के अधीक्षक संरभ सिंह ठाकुर ने कहा कि अवैध लकड़ी तस्करी की सूचना मिली है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बारिश से एफ़्सीआई गोदाम का चारदीवारी गिरा सात गरीबों का आशियाना टूटा



एसडीम,तहसीलदार सहित राजस्व महकमा मौके पर पहुंचा रहत देने का दिया आश्वासन

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- विश्रामपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफ़्सीआई) का गोदाम के पीछे बने झुग्गी झोपड़ी पर एफ़्सीआई का चार दिवारी बीती रात बारिश से जल निकासी न होने के कारण गरीबों के आशियाना पर जा गिरा जिससे सात गरीबों का कच्चे का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कई

बकरियां जख्मी हो गई। ग़बटना बीती रात की है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कुंज नगर की झुग्गी झोपड़ी जो एफ़्सीआई गोदाम से लगा हुआ है आज बारिश में धराशायी हो गया। प्रभावितों का आरोप है कि एफ़्सीआई गोदाम की चार दिवारी का निर्माण और असुरक्षित ढंग से किया गया था पुराने चार दिवारी पर नया चारदीवारी बनाने का कार्य चल रहा था। ठेकेदार द्वारा जल निकासी का व्यवस्था किए बगैर पुराने चारदीवारी के ऊपर ईंट की जुड़ाई कर दी गई जो आज रात्रि

तेज बारिश के कारण नाली में जल जमा हो गया जिससे जल निकासी न होने के कारण भर भरा कर चार दिवारी गरीबों के कच्चे मकान के ऊपर गिर गया जिससे सात लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया परंतु गनीमत यह रहा की किसी जान का नुकसान नहीं हो पाया। इसकी जानकारी मिलते हैं ग्रामीणों का दल मौका स्थल पर पहुंचा और एफ़्सीआई प्रबंधक को ज्ञापन सौंप कर मुआवजा की मांग की परंतु खाद्य संग्रहालय केन्द्र प्रबंधक धन सिंह मार्कों ने स्पष्ट तौर पर प्रभावितों को कहा कि मुआवजा

एवं अन्य सहयोग करना हमारे दायरे से बाहर की बात है।आप सब की मांग को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और जैसा आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। जिस पर प्रभावितो ने अनुरोध किया कि लंबी प्रक्रिया के कारण तब तो पूरा मकान ही टूट कर पानी भी बह जाएगा ऐसी स्थिति में गोदाम से परिवहन नहीं होने देंगे चक्का जाम किया जाएगा। प्रभावितो ने खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर अविलंब कदम उठाने की मांग की जिस पर प्रबंधक धन सिंह मार्कों ने उच्च आदेश के बिना कुछ भी कर

पाना असंभव होना बताया। जिस पर नायब तहसीलदार पिलखा श्रीमती मीना सिंह ने प्रबंधक से कुछ रास्ता निकालने की बात कही जिस पर प्रबंधक ने अपने उच्च अधिकारियों से चर्चा की तो उधर दूसरी तरफ ज्ञापन सौंप कर ग्रामीणों ने चक्का जाम करने के तैयारी में जुटे ही थे की मौके पर एसडीएम सूरजपुर शिवानी जायसवाल लटोरी तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल ,पिलखा नायब तहसीलदार मीना सिंह मौके पर पहुंचकर जायजा नरेंद्र जैन सहित सैकड़ों ग्रामीण को मिलला मलवा हटाने का

व्यवस्था करने की को कहा तथा प्रभावितों को मुआवजा देने के लिए सर्वे कर प्रतिवेदन बनाने का अपने पटवारी को निर्देशित किया जिस पर मामला शांत हुआ। सात प्रभावितों में प्रमुख रूप से सरस्वती, शंकर प्रसाद गुप्ता, बालिका देवी, मनोज कुमार ,सावरा बेगम, विनोद रवि, रईसन निशा शामिल है। इस दौरान श्रमिक नेता लखन कुरे, कुंज नगर सरपंच , उप सरपंच शहररुख खान,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र जैन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।



विधायक भावना बोहरा ने विकास कार्यों का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण

■ इन्दौर क्षेत्र में 1 करोड़ 07 लाख 19 रुपये के विकास कार्यो का भूमिपूजन

डरिया (विश्व परिवार)। विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधायक भावना बोहरा ने आज इन्दौर क्षेत्र के ग्राम कोसमर्दा, झिरौनी और केसली में 1 करोड़ 07 लाख 19 रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दो राष्ट्रीय पथ, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, भूमि समतलीकरण, शिव मंदिर जीर्णोद्धार सहित विभिन्न जनहितकारी निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया तथा प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया। विधायक भावना बोहरा द्वारा इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का साथ-साथ शिक्षा, सामाजिक अधोसंरचना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा ग्रामीण जीवन को अधिक



सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक भावना बोहरा का स्वागत करते हुए इन विकास कार्यों के लिए आधार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि इन निर्माण कार्यों से गांवों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं आधारभूत विकास को नई दिशा मिलेगी।

इंदौरी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों को मिली इन विकास कार्यों की सौगात

विधायक भावना बोहरा ने ग्राम

कोसमंदा में सीसी रोड और नाली निर्माण सहित 31 लाख 17 हजार एवं 23 लाख 3 हजार की लागत से निर्मित होने वाले दो गौरव पथ, 16 लाख रुपए की लागत से गौठान व स्कूल का समतलीकरण, 5 लाख रुपए की लागत से शनि मंदिर का जीर्णोद्धार तथा ग्राम झिरौनी में 11 लाख 69 हजार रुपए की लागत से आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम केसली में 20 लाख 8 हजार रुपए की लागत से निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण कर

क्षेत्रवासियों को इन विकास कार्यों की सौगात के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर विधायक भावन
सोहरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का
समय विकास ही विकसित पंडरिया का
आधारशिला है। गांव तभी आगे बढ़ेंगे
जब वहां मजबूत सड़कें, गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा, बेहतर सामाजिक अधीसंरचना
और सांस्कृतिक-धार्मिक स्थलों का
रक्षण समान रूप से सुनिश्चित होगा
श्री सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री
राणु देव साय जी के नेतृत्व में डबल
जंज भाजपा सरकार ग्रामीण विकास को
वर्चस्व प्रथमिकता देते हुए लक्ष्य को
पार कर रही है। हमारा लक्ष्य अंतिम
तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।
गौर पंडरिया विधानसभा इसी सोच के
अनुसंधान लगातार आगे बढ़ रही है। गांवों में
नेने वाले गौरव पथ आगमन को
गम बनाकर स्थानीय विकास को न
ति देंगे।

लायंस क्लब रायपुर प्रेरणा ने नई टीम का गठन किया

■ जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का लियो क्लब लॉन्च किया



माषण दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ जिला प्रदाधिकारी भी उपस्थित रहे जिसने PMJF लायन पर्पीदर कौर पुसरी, PMJF लायन दिलसिरीन कौर पुसरी, लायन डॉ. अरविंद नेरल, लायन मोहन छाबड़ा, लायन ईश्वर अग्रवाल, लायन डॉ. निरंजन हरिवराल, लायन डॉ. आर. वधवानी, लायन प्रेम शर्मा, PMJF लायन मीनाक्षी कोशल, लायन डॉ. संगीता नेरल और लायन दिवाकर अंसूथी शामिल थे। विभिन्न लायंस क्लबों के अध्यक्ष एवं

पदाधिकारी, विशिष्ट पेशेवर, मीडिया और आमंत्रित अतिथि भी उपस्थित रहे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुसरी ने ओपचारिक रूप से लॉयंस क्लब रायपुर प्रेरणा के 2026-27 के पदाधिकारियों को स्वागत किया। इनमें MJF लायन डॉ. संयुक्ता गांधी अध्यक्ष, नवनीत कौर ग्रेवाल सचिव, लायन सच्येंद्र सिंह संयुक्त सचिव, लायन डॉ. स्मिता प्रेमनंद कोषाध्यक्ष और लायन मनोज शुक्ला संयुक्त कोषाध्यक्ष बने।



MUNICIPAL CORPORATION, RAIPUR

Zone-10



Email:- rmezone10@gmail.com

e-Procurement Tender Notice Main Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>

(1st Call)

NIT No:- 13

Online bids are invited for the following works up to 11-08-2026 at 17:30 hours.

RAIPUR DATED 21-07-2026

Sr. No.	System Tender No.	Name of work/Description of work	Probable amount of contract
01	195778	नगर पालिक निगम रावपुर अर्लगत वाई क्र.53 बाबू जगजीवन राम वाई में पवन जगडे के घर से लेकर अवय फनीचर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य। (अधोसंरचना मद्)	12.71 Lakh

The details can be downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal <https://eproc.cgstate.gov.in> from 21-07-2026, 17:30 Hours (IST) on wards.

For more details on the tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal NIT Details and other documents.

NOTE: -

1. All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on e-Procurement portal.
2. Contractors can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Help Desk at Toll Free No. 18004199140 or through Email ID Procurement.Syste.in.helpdesk.eproc@cgs.wan.gov.in

ZONE COMMISSIONER

ZONE-10

MUNICIPAL CORPORATION

RAIPUR (C.G.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पाणी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./32355/ न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 20-07-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 32355

वार्ड का नाम - 50 - पं. विद्यावरण शुक्ल वाई

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 50 स्थित भवन/भूमि जिसका कार्पाईड नं.अ.खी. RPR446K1134A जो श्री/श्रीमती **SANJAY SUNDRANI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **JAWAHAR LAL SUNDRANI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **RAVI CHANDARMAL MAKHJIA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **CHANDARMAL MAKHJIA** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शायथ पत्र, दान पत्र, हिस्सा/नामा, राजस्व विलेख के अनुसार/पूरीकृत किया/किया विलेख/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थान/लिखित परिवर्तन में हक या दावा रखता है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि परचात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

**श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)**

द्वारा क्रमांक-(10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)


कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./33254/ न.पा.नि./जोन क्र. 10/2026
रायपुर, दिनांक 21-07-2026

इश्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 33254

वार्ड का नाम- 50 - पं. वि. विद्यारण्य शुक्ल वाई
 एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 50 स्थित भवन/भूमि जिसका पापर्टी आई.डी. **RRP44800P1996** जो की निगम अधिलेख श्री/श्रीमती **NIKHIL KHALIKO** पिता/पिता श्री/श्रीमती **AMRUT KUMAR KHALIKO** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **JHANAK YADAV** पिता/पिता श्री/श्रीमती **LAKHAN LAL YADAV** ने मूल्य प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, छिन्नानामा, राजस्वी विलेख के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख/ वंशगत/प्रस्तुत अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त प्रमाणित परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रमाणिक के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
श्री मोनेश्वर शर्मा
 (जोन कमिश्नर)
 जोन क्रमांक-(10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)


कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com
फ़ प्र क्र/33486/ न.पा.नि./जोन क.-10/2026
रायपुर, दिनांक 21-07-2026
इश्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 33486
 एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि
 वाई 50 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रपंटी
 आई.डी. **RPR448000048** जो की
 निगम अधिलेखन श्री/श्रीमती **KOMAL**
DEUSEJA पिता/पति,
LEKH RAR DEUSEJA
 धन है, जिसको श्री/श्रीमती **UTKRSH**
DHANWANI AND
LATA
DHANWANI पिता/पति, श्री/श्रीमती
RAJAKUMAR DHANWANI ने मूल
 प्रमाण पत्र, सह पत्र, शायध पत्र, दान पत्र,
 हिस्बान्नामा, रिस्टर्डी विलेख के अनुसार/
 निगमित **विक्रय विलेख/ वंशानुक्रम/**
 अन्य अधिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक
 निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के
 तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई
 व्यक्ति/स्थिति उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन
 में हक या दावा रखे है, प्रकाश के 15 दिनों
 के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित
 लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें।
 निगमित समयावधि प्रकाश प्राप्त
 धारा/आपति प्र कि.सी प्रकाश के सुनवाई
 नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह
 कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
 -सूचना जारी करे।
 श्री मोनेश्वर शर्मा
 (जोन कमिश्नर)
 जोन क्रमांक-(10)
 नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

भीषण हृदयाघात के बाद दिल ने लगभग काम करना किया बंद

■ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल्स,
रायपुर में आपातकालीन उपचार,
ईसीएमओ जीवन रक्षक प्रणाली
और एंजियोप्लास्टी से बचाई गई
मरीज की जान



पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पा रहा था।
उनकी जान को तत्काल खतरा था।

रायपुर निवासी 56 वर्षीय राजेश साहू (नाम परिवर्तित) को सीने में तेज दर्द के बाद अस्पताल लाया गया। जांच में पता चला कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली तीनों प्रमुख धमनियां गंभीर रूप से अवरुद्ध थीं। इसके साथ ही फेफड़ों में पानी भर गया था,

हृदय की धड़कन अनियमित हो गई थी और हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता भी काफी कम हो चुकी थी, जिससे उनकी स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सबसे पहले रक्त के थक्के को घोलने वाली आपातकालीन दवा देकर हृदय तक रक्त प्रवाह बहाल करने का प्रयास किया। लेकिन समय पर उपचार शुरू होने के बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही। मरीज को जान बचाने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत एक्स्ट्रा कोर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (ECMO) तकनीक का सहारा लिया। यह गंभीर हृदय और फेफड़ों के मरीजों के लिए

सन्ध्य सबसे उन्नत जीवन रक्षक तकनीकों में से एक है। इस तकनीक में कुछ समय के लिए मरीज को हृदय और फेफड़ों का पूर्ण अर्थ संचालन, जिससे पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रही। इससे रक्तिसर्जकों को मरीज की स्थिति स्थिर करने और सुनिश्चित तरीके से जीवनरक्षक एंजियोप्लास्टी करने का समय मिल गया। मरीज को स्थिति निर्वाचित होने के बाद रक्तिसर्जकों ने कोरोनरी एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया में कई गंभीर अवरोधों की पुष्टि हुई। उनके बाद आपातकालीन एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया की मुख्य धमनी में दवा युक्त रक्तशेष स्टेंट लगाया गया, जिससे रक्त वाह सामान्य हो गया।

कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र. - 4)
प्रस बल्लभ, पानी टंकी के नीचे, छोटारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

प्र.क्र./33311/ न.पा.नि./जोन क्र.- 4/2026
रायपुर, दिनांक 21-07-2026

इशतिहार

नामांतरण प्र.क्र. 333311

वार्ड का नाम- 43- ब्राम्हणपारा वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 43 स्थित पवन/पुमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR758MB000161 जो की निगम अंतिमचक्र पत्र/श्रीमती **CHHERKA PRAKASH** निगम/पति, श्री/श्रीमती **S/O RAMANJU** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **DINESH KUMAR CHAUBEY** निगम/पति, श्री/श्रीमती **S/O LOBTE** निगम/श्रीमती **PRASAD SHARMA** ने मन्तु प्रमाण पत्र, सह पत्र, रायच पत्र, दान पत्र, हिस्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/अनुषासी बंटवारा नामांतरण द्वारा शपथ पत्र / वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्थापित परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकाशक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयवधि पर्यंत प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्रीमती दिव्या चंद्रवंशी
(जोन कमिश्नर)
जी.न क्रमांक-4
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

**कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क्र. -3)**
नगर पानी टंकी के नीचे, रायपुर
ID - rmczone3@gmail.com

489/ न.पा.नि./जोन क्र.-3/2026
तारीख 21-7-2026

इश्टिहार

प्र.क्र. 33489

म.द्रा सुचि गोविन्द सिंह वाई
द्वारा सूचित किया जाता है कि
स्थित वन/पशुपि जिसका प्रॉपर्टी
RPR334AF00070 जो कि
नभिलखे श्री/श्रीमती MO.
KHAN पिता/पति श्री/श्रीमती
E. SATTAR KHAN के
दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती
MMAD JAHANGIR
S/O पिता/पति श्री/श्रीमती S/O
JAKIR HUSSAIN ने मृत्यु
पत्र, सह पत्र, शायेष पत्र, दान पत्र,
रिजिस्ट्री विलेख के अनुसार/
विक्रय विलेख / वंशानुक्रम/
भरेख दवा प्राप्त नगर पालिक
अधिनियम 1956 को अंगीकार
आवेदन किया है। यदि कोई
स्थान उपरोक्त स्वांमिल परिवर्तन में
रुका रखे है, प्रकाशना के 15 दिन
प्रकरण प्रकाश सहित लिखित में
आ/प्रस्तुत करें। निमाशित समयावधि
तक दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार
ई नहीं को जाएगी। जिसके लिए
अलय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्रीमती प्रीति सिंह
(जोन क.मिशनर)
(जोन क्र. - (3))

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प.)

नगर पालिक निगम,
र (जोन क.-4)
के नवी, छोटपारा, रायपुर
zone4@gmail.com
ने.जोन क.-4/2026
-7-2026
तहदार
08
महणपारा वाई
न किया जात है कि वाई
जिसका पापटी आई.डी.
HURAM TIKARIHI
S/O NAMDURAM
मे से दर्ज है, जिसको
SHAMIKANT SHARMA
(SHARMA पिता/पति,
JUNA LAL SHARMA
सह पत्र, रायच पत्र, दान
सर्विलेख के अनुसार/
वंशानुक्रम/अन्य
तह नगर पालिक निगम
धारा 167 के तहत द्वारा
दिए कोई व्यक्ति/संस्था
सर्वित्त में हक या दावा
15 दिने के भीतर प्रकृत
तह में अपना दावा/प्रस्तुत
या प्रमाणपत्र पेशचात प्राप्ति
में अथवा को सुनवाई नही
ले लिए यह कार्यालय
जारी करें-
दिये चंदवंशी
(जोन कमिश्नर)
न क्रमांक-4
नगर, रायपुर (छ.ग.)

के निगम,
-5-4)
रा, रायपुर
ail.com)
026

कार्यालय नगर पालिक निका
रायपुर (जोन क्र. - 10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./33485/ न.प्रा.नि./जोन क्र.-10/2022
रायपुर, दिनांक 21-07-2022

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 33485

वार्ड का नमा-54- कामरेड सुषीर मुखर्जी वार्ड
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि
54 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्ति आ
RPR652M1A3372 जो के नगर अधि
श्री/श्रीमती विश्व जी/आ BUILDERS A
DEVELOPERS DWARA प्राप्त
MOHAMMED IRFAN पिता
श्री/श्रीमती MO. IKRAM ULLA के ना
द है, जिसको श्री/श्रीमती आ
VAISHNAV पिता/पति, श्री/श्रीमती VISH
DAS VAISHNAV ने मूल्य प्राप्ति, प
पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हित्थानामा, र
विशेष के अनुसार/ प्रतीकृत विक्रय लि
वंशानुक्रम/नियम अधिलेख द्वारा प्राप्त
पालिक नाम/अपेक्षित 1956 को धारा
के तहत द्वारा अपेक्षित न है। यदि
दावा/संस्था या अन्य का स्वामित्व परिवर्तन
होना रखते हैं, प्रकाश के 15 दिन में
प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में स
दावा/प्रत्युत करें। निष्ठाति समयावधि प
प्राप्त देवा/आपत्ति पर किसी प्रकार को स
नहीं को याचना। जिसके लिए यह कार
जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री मोहम्मद शमां
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (10)

नगर पालिक निका, रायपुर (छ.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम**
रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
 E-mail ID - rmczone10@gmail.com

पत्र क्र./33469/ न.पा.नि.जोन.क्र.-10/2026
 रायपुर, दिनांक 21-07-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्रक्र. 33469

वाई का नाम - प. व. विद्याचरण शुक्ल दास

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि
 वाई 50 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्य
 आई.डी. **RP446N00168** जो
 निगम अंशधारक श्री/श्रीमती **ISHAN**
SHARMA पिता/पति, श्री/श्रीमम
PRAVIN SHARMA के नाम से
 है, जिसको श्री/श्रीमती **ANITA**
MEWADE पिता/पति, श्री/श्रीमम
RAMCHANDRA MEWADE ने
 मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, सखि पत्र, दा
 पत्र, हिस्बानामा, राजकीय शेष पत्र, दा
 अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख
 वंशांकन/ अन्य अधिकृत द्वारा प्रा
 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 क
 धारा 167 के हतद द्वारा आवेदन किया
 है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त
 स्वामित्व पत्रकेन में हक या दावा रख
 है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकर
 क्रमांक सहित लिखित में अपन
 धारा/प्रत्युक्त नं.ों के माध्यम समयावधि
 पंचपात या दावा/आपत्ति पत्र किसी को
 को सुनवाई नहीं की जाएगी। जिससे
 लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा
 -सूचना जारी करे-

श्री मोहनचरण शर्मा
 (जोन कमिश्नर)
 जोन क्रमांक-10

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.प्र.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम
रायपुर (जोन क्र.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmcczone10@gmail.com

पत्र क्र./33349 / न.पा.नि./जोन क्र.-10/2026
रायपुर, दिनांक 21-07-2026

इशितहार

नामांतरण प्रक्र. 33349

वार्ड का नाम - 54 - कार्मरह सुवीर मुक्छी जं
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 54 स्थित भवन/भूमि जिसका पापर्टी आई.डी.नं. **RPRES6700834** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **DEEPAK GUPTA** पिता/पति, श्री/श्रीमती **JITENDRA PRASAD GUPTA** के नाम से दर्ज है, जिसकी श्री/श्रीमती **MANISH KOHLE** पिता/पति, श्री/श्रीमती **CHANDRASHEKHAR KOHLE** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, पंजीकृत, राजस्वी विलेख के अनुसार/ दिनांक **22 फ़रवरी 1956** के अनुसार/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त ख्यामलिपि परिवर्तन में हक या धारा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रत्येक क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्ताव करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/अपति पर किसी प्रस्ताव को सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

—सूचना जारी कर—
श्री मोनेयवर शर्मा
(जोन कांमिस्नर)
जोन क्र.फ्रक- (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

 **कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (जोन क.-10)**
अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर
E-mail ID - rmczone10@gmail.com

प्र कर 333/15 न.पानि./जोन क.-10/2026
रायपुर, दिनांक 27-01-2026

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 333/15

आई का नाम- सु. चं. विद्यावरण शुक्ल दाई है
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि
नं. 50 स्थित भवन/भूमि जिसका प्राप्ती
आई.डी. नं. **RPR446P0196C** जो की
निगम अधिनियम 1956 के अनुसार
VARUN
PRADHAN पिता/पति, श्री **VARUN**
ARUN PRADHAN के नाम से दर्ज
है, जिसको श्री/श्रीमती **JHANAK**
YADAV पिता/पति, श्री **ANAK**
LAKHAN LAL YADAV ने मृत्यु
प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दात पत्र,
हहम्बान्नाम, निम्नलिखित विलेख के अनुसार/
अनुसूचित विक्रय विलेख/ वंशानुक्रम/
अनुसूचित विलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक
निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के
तहत द्वारा आवंटन किया है। यदि कोई
व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वाधिन पत्रिखान
नं हक दाता दाता रखे हैं, प्रकाशन के स
हक के भीतर प्रकाशन क्रमांक सहित
निर्लिखित नं अपना दाता प्रस्तुत करे
निर्लिखित समयावधि पश्चात प्राप्त
दाता/आपात पत्र किसी प्रकार की सुनवाई
नहीं की जाएगी। प्रतिके लिए यह
कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-

श्री मोनेश्वर शर्मा
(जोन कमिश्नर)

जोन क्रमांक- (10)

नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

